

प्रकरण सं० अनवान

Continuation Note Sheet

DP 12-10-20

प्राथमिक द्वारा जारि वकील प्राथमिक द्वारा
पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई।
प्राथमिक द्वारा मूल वाद में प्राथमिक पत्र प्रस्तुत
कर मूल वाद खारिज करवा लिया गया है। मूल
वाद के खारिज होने से इस प्रकरण को कोई
अस्तित्व औचित्य शेष नहीं रह जाता। अतः प्रकरण
इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। फावट
वाद तक मिला जाकर संलग्न मूलवाद रहे।

(उमेश सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (न्याय)
श्रीगंगानगर

खन्शा-
पूणाराम
तद्य
1
2
3
4
5
6
7
8

0
18